UPMO010069642026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01 जनपद मुरादाबाद (उ0प्र0)

पीठासीन अधिकारी – अनिल कुमार–IV (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) आई0डी0–यू0पी0 6124

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 2086/2026

साबिर उम्र लगभग 80 वर्ष पुत्र स्व0 वजीर अहमद निवासी ग्राम समाथल थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद वर्तमान पता हाशमपुर चौराहा आजाद नगर पाकबड़ा थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद। ———आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ———अभियोजन पक्ष

मु0स0 – 653/2015
मु0अ0सं0–120/2014
धारा 419,420,467,468,471 भा0दं0सं0
थाना सिविल लाइन, जनपद मुरादाबाद

01. आवेदक/अभियुक्त साबिर की ओर से इन आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे उपरोक्त मुकदमे में रंजिश की बिना पर झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। वादी मुकदमा ने अवर न्यायालय में गलत तथ्य बताकर धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पारित करा दिया था। आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकमदा की जमीन का बैनामा अपने नाम नहीं कराया था। उपरोक्त वाद सिविल प्रकृति का था, परन्तु वादी मुकदमा ने फौजदारी वाद में मुकदमा दर्ज कराकर माननीय न्यायालय को गलत तथ्य बताकर व फर्जी घटना दिखाकर मुकदमा दर्ज करा दिया है जबकि अवर न्यायालय मुरादाबाद में उक्त बैनामे के संबंध में सिविल प्रकृति का वाद विचाराधीन था। आवेदक/अभियुक्त 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, काफी बीमार है व चारपाई पर पड़े रहता है, हृदय व क्षय रोग से पीड़ित है। आवेदक/अभियुक्त की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिस कारण चलने–फिरने में परेशानी रहती है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय से स्टे कराकर लाया था और स्टे पर था। स्टे होने के बाद मुकदमे में नहीं आ सका और मुकदमा उपरोक्त की कोई जानकारी समन तामील न होने के कारण हो नहीं सकी। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा के बैनामे में कोई जालसाजी नहीं की, न कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार कराया। यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी माननीय न्यायालय अथवा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.20 18:01:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। मुकदमे में जनता का कोई आजाद गवाह नहीं है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है व देश से बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं है और न ही किसी न्याय की अवहेलना करेगा, न ही बिना अनुमति के देश से बाहर जायेगा, न्यायालय द्वारा जब भी तलब किया जायेगा, उपस्थित होगा। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र है।

02. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा बदलू द्वारा संबंधित न्यायालय में दिनांक 24.02.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी के पिता अल्लाबख्श ने अपनी आराजी गाटा संख्या–424, रकबई–3.128 हैक्टे0, स्थित ग्राम–समाथल, तहसील व जिला मुरादाबाद, में से अपने जीवनकाल में 32 डिसमिल आराजी का बैनामा दिनांक 14.03.1990 को अभियुक्त संख्या–1 ता. 4 व एक अन्य व्यक्ति के हक में निष्पादित किया था तथा उक्त पांचों व्यक्तियों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया। अभियुक्त जाकिर हुसैन द्वारा जुबानी हिबानामा अभियुक्त अख्तर हुसैन को जरिये मूलवाद संख्या–285/1991, अपने संपूर्ण अंश से अधिक 259 वर्ग मीटर का कर दिया गया, जिससे अभियुक्त संख्या–4, अभियुक्त संख्या–1 के हिस्से का भी मालिक हो गया। अभियुक्त संख्या–3 इसहाक ने गाटा संख्या–424 के अपने अंश से अधिक 260.58 वर्ग मीटर का बैनामा मौ० आकिल आदि के हक में दिनांक 18.08.1994 को निष्पादित करा दिया। अभियुक्त संख्या–4 व 2 ने एक मुख्तारनामा शराफत हुसैन के हक में अपने अंश में से 322.24 वर्ग मीटर का दिनांक 19.09.1994 को रजिस्टर्ड कराया और इसी रजिस्टर्ड मुख्तारनामें के आधार पर उक्त 322.24 वर्ग मीटर में से शराफत हुसैन ने बहैसियत मुख्तारे आम दिनांक 07.04.1999 को तीन बैनामें निष्पादित कराये। वादी का कथन है कि अभियुक्त संख्या–3 इसहाक ने अपना अंश बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा हस्तांतरित कर दिया, चूंकि अभियुक्त संख्या–1 ता 4 के नाम, उसके व उसके भाई के साथ गाटा संख्या–424 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गये थे, जिसका नाजायज लाभ उठाने की गरज से अभियुक्त संख्या–1 जाकिर हुसैन ने अभियुक्त संख्या–5 मंजीत नागपाल से हमसाज होकर उसकी संपत्ति को हड़पने की नियत से धोखाधड़ी के इरादे से एक रजिस्टर्ड बैनामा अभियुक्त संख्या–5 मंजीत नागपाल के हक में 28 डिसमिल का दिनांक 17.01.2001 को रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड करा दिया, जबकि जाकिर पूर्व में ही अपने संपूर्ण अंश का जुबानी हिबानामा अभियुक्त संख्या–4 को कर चुका था और उसे कोई अधिकार उक्त आराजी काश्त गाटा संख्या–424 में से बैनामा कराने का प्राप्त नहीं था। अभियुक्त संख्या–2, 3 व 4 साबिर हुसैन, इसहाक हुसैन व अख्तर हुसैन ने भी मंजीत नागपाल से हमसाज होकर धोखाधड़ी की गरज से 19 डिसमिल काश्त का बैनामा मंजीत नागपाल के हक में दिनांक 17.09.2002 को रजिस्टर्ड करा दिया, जबकि इसहाक द्वारा अपना संपूर्ण अंश

मौ० आकिल आदि को विक्रीत किया जा चुका था। अभियुक्त संख्या–2, 3 व 4 को उक्त आराजी में से 19 डिसमिल आराजी विक्रीत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बाबत वादी द्वारा एक मूलवाद संख्या–64/01, अभियुक्त संख्या–1 ता. 5 व अन्य के विरूद्ध तथा एक अन्य मूलवाद, बाबत निरस्तीकरण बैनामें, संख्या–737/2002, अभियुक्त संख्या–1 ता. 5 के विरूद्ध योजित किये गये, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2004 को अभियुक्त संख्या–1 ता. 4 के द्वारा अभियुक्त संख्या–5 के हक में निष्पादित बैनामें दिनांक 17.01.2001 व दिनांक 17.09.2002 को उनके अंश तक खण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त संख्या–5 मंजीत नागपाल द्वारा अभियुक्त संख्या–6 ता. 13 से सांठ–गांठ करके वादी मुकदमा की संपत्ति को हड़प करने की नीयत से अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से दो बैनामें दिनांक 30.01.2014 को निष्पादित कराये गये। सिर्फ राजस्व अभिलेखों में अपना नाम वादी के साथ दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उसकी संपत्ति को हड़पने के लिये फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, जिसके संबंध में उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये, परंतु कोई कार्यवाही न होने पर यह प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित न्यायालय के आदेश से संबंधित थाना में धारा–420, 469 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें दौरान विवेचना धारा–419, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

03. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर, संज्ञेय व अजमानतीय प्रकृति के हैं। अतः उक्त आधारों पर उक्त अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की मांग की गयी।

04. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना गया एवं पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया गया।

05. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द अभियुक्त है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त संख्या–1 ता 4 के नाम, वादी व उसके भाई के साथ गाटा संख्या–424 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गये थे, जिसका नाजायज लाभ उठाने की गरज से अभियुक्त संख्या–1 जाकिर हुसैन ने अभियुक्त संख्या–5 मंजीत नागपाल से हमसाज होकर उसकी संपत्ति को हड़पने की नियत से धोखाधड़ी के इरादे से एक रजिस्टर्ड बैनामा अभियुक्त संख्या–5 मंजीत नागपाल के हक में 28 डिसमिल का दिनांक 17.01.2001 को रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड करा दिया, जबकि जाकिर पूर्व में ही अपने संपूर्ण अंश का जुबानी हिबानामा अभियुक्त संख्या–4 को कर चुका था और उसे कोई अधिकार उक्त आराजी

काश्त गाटा संख्या–424 में से बैनामा कराने का प्राप्त नहीं था। अभियुक्त संख्या–2, 3 व 4 साबिर हुसैन, इसहाक हुसैन व अख्तर हुसैन ने भी मंजीत नागपाल से हमसाज होकर धोखाधड़ी की गरज से 19 डिसमिल काश्त का बैनामा मंजीत नागपाल के हक में दिनांक 17.09.2002 को रजिस्टर्ड करा दिया, जबकि इसहाक द्वारा अपना संपूर्ण अंश मौ० आकिल आदि को विक्रीत किया जा चुका था। अभियुक्त संख्या–2, 3 व 4 को उक्त आराजी में से 19 डिसमिल आराजी विक्रीत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सिर्फ राजस्व अभिलेखों में अपना नाम वादी के साथ दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उसकी संपत्ति को हड़पने के लिये फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक संज्ञेय अपराध कारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिबिंबित होता है कि विवेचना उपरान्त प्रकरण में दिनांक 13.03.2015 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। तब से आवेदक/अभियुक्त निरन्तर मामले में अनुपस्थित चल रहा है। उसके अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध दिनांक 19.03.2015 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये, उसके बाद भी उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी। आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण वाद के विचारण की कार्यवाही अनावश्यक रूप से विलम्बित हुयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **श्रीकांत उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2024 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 282** में यह अवधारित किया गया है कि ऐसे अभियुक्त जो निरंतर आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा जिनके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी हों अथवा उद्घोषणा की कार्यवाही की जा चुकी है, वह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं हैं।

06. अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त किसी विधिक अनुतोष, संरक्षण अथवा न्यायिक सहानुभूति का पात्र नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त साबिर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 20.07.2026

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01
जनपद मुरादाबाद।